

6.7.17

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत में पेश हुई।
प्राथमिक वकील उपरोक्त शूलवाट जरिये शर्मा नाम
विद्वेष किया जा चुका है। अवरस आवेदन में अयो
की कार्यवाही का कोई अंश चिन्तन नहीं रहा। किन्तु
इस आवेदन में आगामी कार्यवाही इसी स्तर पर
समाप्त कर न्यायालय द्वारा जारी स्मगल ऑर्डर
दि. 12/7/16 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर दारिदल दफतर हो।

महायक कलक्टर
चौहटन

आवृत्त 1. इसका निदान
कलक्टर चौहटन, राजस्थान सरकार
द्वारा किया गया है।
दि. 12/7/16